कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

–:: परिपत्र ::–

इस कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक : 25.03.2012 द्वारा समान परीक्षा योजनान्तर्गत गृह परीक्षा एवं कक्षा–कक्षोन्नति नियमों के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। समसंख्यक निर्देश परिपत्र दिनांक : 27.03.14 एवं 16.03.2016 द्वारा उक्त निर्देशों के संबंध में आंशिक संशोधन जारी किए गए हैं। उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र "परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम : 2011–12" के प्रावधानों के अनुप्रयोग में विभिन्न जिज्ञासाओं के समाधान/कठिनाईयों के निवारणार्थ समीक्षोपरान्त एतद् द्वारा स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं :–

1. कृपांक हेतु अधिकतम देय अंक की गणना :–

चूंकि प्रायोगिक परीक्षा में कृपांक देय नहीं होते हैं, अतः कृपांक के लिए देय अधिकतम अंक की गणना हेतु सम्बन्धित विषय के केवल सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के कुल पूर्णांकों को आधार माना जाएगा । **(मूल परिपत्र का बिन्दु संख्या – 5)**

2. पूरक परीक्षा हेतु पात्रता :–

I. जिन विषयों में सैद्धांतिक व प्रायोगिक, दोनों परीक्षाएं होती है, उनमें इसमें से किसी एक अथवा दोनों में परीक्षार्थी को पूरक परीक्षा हेतु उसी स्थिति में पात्र घोषित किया जा सकेगा, यदि सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक परीक्षाओं, दोनों के प्राप्तांकों का कुल योग 25 प्रतिशत अथवा अधिक है। जिस प्रश्न पत्र (सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक) में परीक्षार्थी द्वारा 36 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त कर लिए जाएंगे, उस प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण प्राप्तांक के कारण पूरक परीक्षा में प्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं होगी।

II. यदि किसी विषय में परीक्षार्थी के प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक के प्राप्तांकों का कुल योग 25 प्रतिशत अथवा अधिक है, तो उस परीक्षार्थी को पूरक परीक्षा हेतु पात्र घोषित किया जा सकता है। पूरक परीक्षा के लिए पात्र घोषित किए जाने हेतु वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।
(मूल परिपत्र का बिन्दु संख्या – 7)

3. पूरक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी हेतु नवीन अंक तालिका :–

समसंख्यक परिपत्र दिनांक : 27.03.14 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को पूरक परीक्षा में प्राप्तांकों के अनुरूप नवीन अंक तालिका जारी किए जाने का प्रावधान है। पूरक उत्तीर्ण विषय एवं पूर्व से उत्तीर्ण विषयों के पूर्णांकों के अनुपात में प्राप्तांकों की समरूपता रखे जाने हेतु पूरक परीक्षा का प्रश्न–पत्र उस विषय में प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक कुल पूर्णांकों के समान पूर्णांकों का बनाया जाना चाहिए तथा नवीन प्रगति पत्र में पूरक उत्तीर्ण विषय के प्राप्तांक उस विषय के विषय योग (कुल) के कॉलम में दर्शाए जाकर तद्नुसार श्रेणी निर्धारित की जानी चाहिए।

उदाहरणार्थ – जीव विज्ञान विषय में सैद्धांतिक प्रश्न–पत्र में पूरक योग्य परीक्षार्थी हेतु वार्षिक परीक्षा तक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के 150 पूर्णांक के समान प्रश्न–पत्र निर्मित किया जाकर पूरक सैद्धांतिक परीक्षा में प्राप्तांक तथा पूर्व में उत्तीर्ण जीव विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा में वार्षिक परीक्षा तक पूर्णांक 50 में से प्राप्तांक का योग किया जाकर जीव विज्ञान के विषय योग (कुल) के कॉलम में प्रायोगिक व सैद्धांतिक प्राप्तांक के रूप में पृथक–पृथक दर्शाया जाकर श्रेणी निर्धारित की जाएगी।

(मूल परिपत्र का बिन्दु संख्या – 6)

4. प्रश्न–पत्र समाप्ति समय से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति :–

परीक्षार्थी द्वारा संपूर्ण प्रश्न–पत्र समय से पूर्व हल कर लिए जाने की स्थिति में उसे समय पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति अग्रांकित शर्ताधीन दी जा सकती है :–

I. यदि परीक्षा से सम्बन्धित विषय के प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जाते हैं, तो ऐसे विषय की परीक्षा में निर्धारित समय से अधिकतम एक घण्टा पूर्व तक।

II. अन्य सभी विषयों में निर्धारित समय से अधिकतम आधा घण्टा पूर्व तक।

III. उपरोक्त दोनों स्थितियों में प्रश्न–पत्र को तत्दिवस परीक्षार्थी से लेकर सम्बन्धित वीक्षक द्वारा रख लिया जाएगा। आगामी कार्य दिवस को इस प्रश्न पत्र को परीक्षार्थी को लौटाया जा सकता है।

समस्त सम्बन्धितों द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा–स / 22497 / 2017–20 / 96 दिनांक : 18 .03.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त,स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्., उदयपुर।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
7. वरिष्ठ संपादक ''शिविरा'',प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक ।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी,समग्र शिक्षा अभियान ।
11. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर / अजमेर।
12. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर ।
13. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
14. समस्त संस्था प्रधान–रामावि / राउमावि।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

2.7 विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 6 से 8)

क्र. सं.	परीक्षा का प्रकार / विषय एवं अंक योजना	प्रथम परख			द्वितीय परख			तृतीय परख			अर्द्ध वार्षिक			वार्षिक			योग
		लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	
1.	हिन्दी	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
2	अंग्रेजी	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
3.	तृतीय भाषा	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
4.	गणित	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
5.	विज्ञान	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
6	सा. विज्ञान	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200

क्र. सं.	परीक्षा का प्रकार	प्रथम मूल्यांकन	द्वितीय मूल्यांकन	तृतीय मूल्यांकन	चतुर्थ मूल्यांकन	पंचम मूल्यांकन	योग	ग्रेड
7	कार्यानुभव	20	20	20	20	20	100	
8.	कला शिक्षा	20	20	20	20	20	100	
9	स्वास्थ्य एवं शा. शिक्षा	20	20	20	20	20	100	

नोट :- 1 क्रम संख्या 7, 8 एवं 9 पर अंकित विषयों के गतिविधि आधारित मूल्यांकन किया जायेगा एवं ग्रेड 2.8 (2) के अनुसार दी जायेगी।

2. मौखिक मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी के सतत मूल्यांकन पोर्टफोलियो में संग्रहित कार्यों को भी आधार बनाया जाये।

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 9 के लिये सत्र 2010–11 से लागू)

क्र0 स0	विषय	सामयिक परख				अर्द्ध वार्षिक परीक्षा		वार्षिक परीक्षा		पूर्णांक	न्यून उत्ती
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्न–पत्र	योग	प्रश्न–पत्र	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	भाषायें :										
	(1) हिन्दी	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
	(2) अंग्रेजी	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
	(3) तृतीय भाषा	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
2	विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
3	समाजिक विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
4	गणित	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
5	राजस्थान अध्ययन	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
6	शारीरिक एवं स्वास्थ शिक्षा	10 8 प्रायो.	10 7 प्रायो.	15 10 प्रायो.	60	25 15 प्रायो.	40	30 70 प्रायो.	100	200	–
7	फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	10	10	10	30	50 20 प्रायो	70	70 30 प्रायो	100	200	–
8	(1) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा	अनिवार्य प्रवृति 25			वैकल्पिक प्रवृति 45			शिविर 30		100	सतत आन्तरि मूल्यांक
	(2) कला शिक्षा	सैद्धान्तिक 25			प्रायोगिक 30 + 30			प्रस्तुति कार्य 15		100	

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.15 घन्टे समयावधि का होगा। इसमें 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न प पढनें के लिए दिया गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढलेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने में भी कर सक है।
2. वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
3. प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित समयावधि में ली जायेगी।

Scanned by CamScanner

परिशिष्ठ – I

कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 10 के लिये सत्र 2011–12 से लागू)

क्र0 स0	विषय	सामयिक परख				अर्द्धवार्षिक परीक्षा		कुल योग
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्नपत्र	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भाषायें :							
	(1) हिन्दी	10	10	10	30	70	70	100
	(2) अंग्रेजी	10	10	10	30	70	70	100
	(3) तृतीय भाषा	10	10	10	30	70	70	100
2	विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100
3	सामाजिक विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100
4	गणित	10	10	10	30	70	70	100
5	राजस्थान अध्ययन	10	10	10	30	70	70	100
6	शा0शि0 एवं स्वास्थ्य शिक्षा	10	10	10	30	50 20 प्रायो	70	100
7	फाउन्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	10	10	10	30	50 20 प्रायो	70	100
8	(I) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा	अनिवार्य प्रवृति 25		वैकल्पिक प्रवृति 45		शिविर 30		100
	(II) कला शिक्षा	सैद्धान्तिक 25		प्रायोगिक 30+30		प्रस्तुति कार्य 15		100
9	नोट :– एस0यू0पी0डब्लू0 एवं कला शिक्षा में सतत् आन्तरिक मूल्यांकन							

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.15 घन्टे समयावधि का होगा। इसमे 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढलेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने में भी कर सकता है।
2. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा बोर्ड नियमानुसार एवं योजनानुसार ही आयोजित करें।
3. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
4. राजस्थान अध्ययन विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा इस विषय के प्राप्तांकों को बोर्ड नियमानुसार ग्रेड में परिवर्तित कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करेंगे।

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 11 के लिये सत्र 2010-11 से लागू)

परिशिष्ट – 2

क्र.सं.	विषय	सामयिक परख				अर्द्ध वार्षिक परीक्षा			वार्षिक परीक्षा			पूर्णांक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्न पत्र	प्रायो.	योग	प्रश्न पत्र	प्रायो.	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अनिवार्य :												
	(1) हिन्दी	10	10	10	30	70	--	70	100	–	100	200	72
	(2) अंग्रेजी	10	10	10	30	70	--	70	100	–	100	200	72
	(3) राजस्थान अध्ययन	10	10	10	30	70	--	70	100	–	100	200	72
	(4) जीवन कौशल शिक्षा	बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार सतत् मूल्यांकन 30 + 30 + 40										100	–
2	वैकल्पिक विषय :												
	कला वर्ग :-												
	(1) भूगोल / मनोविज्ञान / गृहविज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(2) संगीत / चित्रकला	10	10	10	30	20	50	70	30	70	100	200	72
	(3) कम्प्यूटर विज्ञान / इनफोरमेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टीमिडिया वेब टेक	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(4) अन्य सभी विषय (बोर्ड द्वारा संचालित)	10	10	10	30	70	–	70	100	–	100	200	72
3	विज्ञान वर्ग –												
	(1) भौतिक / रसायन / जीव विज्ञान / भूविज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(2) गणित	10	10	10	30	70	--	70	100	–	100	200	72
	(3) कम्प्यूटर विज्ञान / इनफोरमेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टीमिडिया वेब टेक	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
4	कृषि विज्ञान वर्ग :-												
	(1) कृषि विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(2) जीव विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(3) रसायन विज्ञान / भौतिक विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(4) गणित	10	10	10	30	70	--	70	100	–	100	200	72
	(5) कम्प्यूटर विज्ञान / इनफोरमेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टीमिडिया वेब टेक	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72

Scanned by CamScanner

5	वाणिज्य वर्ग :–												
	(1) व्यवसाय अध्ययन	10	10	10	30	70	–	70	100	–	100	200	72
	(2) टंकण (हिन्दी व अंग्रेजी)	5+5	5+5	5+5	15+15	–	35+35	70	--	50+50	100	200	72
	(3) शीघ्र लिपि एवं टंकण विधि (हिन्दी व अंग्रेजी)	10	10	10	30	35	35	70	50	50	100	200	72
	(4) लेखा शास्त्र	10	10	10	30	70	–	70	100	–	100	200	72
	(5) अर्थशास्त्र	10	10	10	30	70	–	70	100	–	100	200	72
	(6) गणित	10	10	10	30	70	–	70	100	–	100	200	72
	(7) कम्प्यूटर विज्ञान/इन्फोर्मेटिक्स प्रेक्टिस/मल्टीमीडिया वेब टेक	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3:15 घन्टे समयावधि का होगा। इसमें 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढ़ लेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने में भी कर सकता है।
2. वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
3. राजस्थान अध्ययन विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है लेकिन प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जायेंगे।
4. प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित समयावधि में ली जायेगी।
5. विद्यार्थी को विषय चयन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के दिशानिर्देशानुसार करने होंगे।
6. सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत होंगे।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 12 के लिये सत्र 2011–12 से लागू)

क्र0 स0	विषय	सामयिक परख				अर्द्ध वार्षिक परीक्षा			कुल
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्न पत्र	प्रायोगिक	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
अ – अनिवार्य विषय									
1	हिन्दी	10	10	10	30	70		70	10
2	अंग्रेजी	10	10	10	30	70		70	10
3	राजस्थान अध्ययन (स्थानीय स्तर पर मूल्यांकन)	10	10	10	30	70		70	10
ब – वैकल्पिक विषय									
	(कला वर्ग)								
1	मनो. विज्ञा./भूगोल/गृह विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	10
2	संगीत/चित्रकला	10	10	10	30	30	40	70	10
3	कम्प्यूटर विज्ञान/इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिस/मल्टिमिडिया वेवटेक	10	10	10	30	40	30	70	10
4	अन्य सभी विषय (बोर्ड द्वारा संचालित)	10	10	10	30	70		70	1
	(विज्ञान वर्ग)								
1	भौतिक/रसायन/जीव विज्ञान/भू0विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	1
2	गणित	10	10	10	30	70		70	1
3	कम्प्यूटर विज्ञान/इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिस/मल्टिमिडिया वेबटेक	10	10	10	30	40	30	70	1

Scanned by CamScanner

	(कृषि विज्ञान के लिए विषय)								
1	कृषि विज्ञान	[illegible]	10	10	[illegible]	40	30	70	100
2.	जीव विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100
3.	रसायन विज्ञान/भौतिक विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100
4.	गणित	10	10	10	30	70		70	100
5.	कम्प्यूटर विज्ञान/इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिस/मल्टिमिडिया वेबटेक	10	10	10	30	40	30	70	100
	(वाणिज्य वर्ग)								
1	व्यवसाय अध्ययन	10	10	10	30	70		70	100
2	हिन्दी व अंग्रेजी टंकण	5+5	5+5	5+5	15+15	35+35		35+35	50+5
3.	हिन्दी शीघ्र लिपी एवं टंकण लिपि	5+5	5+5	5+5	15+15	35+35		35+35	50+5
4	अंग्रेजी शीघ्र लिपी एवं टंकण लिपि	5+5	5+5	5+5	15+15	35+35		35+35	50+5
5	लेखाशास्त्र	10	10	10	30	70		70	100
6.	अर्थशास्त्र	10	10	10	30	70		70	100
7.	गणित	10	10	10	30	70		70	100
8	कम्प्यूटर विज्ञान/इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिस/मल्टिमिडिया वेबटेक	10	10	10	30	40	30	70	100

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.15 घन्टे समयांवधि का होगा। इसमे 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढने के लिए दिर गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढलेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने मे भी कर सकता है।
2. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के नियमानुसार एवं योजनानुसार ही आयोजित करें।
3. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
4. प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों एवं समयावअधि में ली जायेगी।
5. विद्यार्थी को विषय चयन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के दिशा–निर्देशानुसार करने होगे।

Scanned by CamScanner

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

::परिपत्र::

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश कमांक: परीक्षा–1/सैल–8/ 2013/ 121085 दिनांक: 13.7.13 द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में पूरक परीक्षा योग्य घोषित परीक्षार्थियों को पूरक विषय में अर्जित किये गये प्राप्तांक जोडकर परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने बाबत प्रावधान लागू किये जाने के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान से सम्बंधित सभी स्तर के विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली गृह परीक्षाओं एवं कक्षा कक्षोन्नति नियमों में (परिपत्र कमांक: शिविरा/माध्य/मा/स/22497/कक्षो0 नियम/11–12, दिनांक 25.3.12 द्वारा शैक्षिक सत्र 2011–12 से संशोधन/परिवर्तन पश्चात लागू) आंशिक संशोधन करते हुए उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या– 6 के उप बिन्दु (7) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है–

"पूरक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को दी जाने वाली अंक तालिका में मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों में अर्जित अंको के साथ, पूरक परीक्षा विषय में पूरक परीक्षा में अर्जित प्राप्तांक अंकित कर उक्तानुसार श्रेणी का निर्धारण करते हुए नयी अंक तालिका जारी कर दी जाये।"

(विकास एस. भाले)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कमांक: शिविरा/माध्य/मा/स/22497/कक्षोन्नति नियम/11–12/167 दिनांक: 27.03.14

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन उपसचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. समस्त उपनिदेशक(माध्यमिक), शिक्षा विभाग।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(प्रथम/द्वितीय), माध्यमिक शिक्षा विभाग।
6. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

phd subhashji 10-3-14.docx